capacities and where use of other fuels is not feasible.

Government has decided to dismantle Administered Pricing Mechanism (APM) in petroleum sector in phases. Consequently, oil companies have been allowed to fix the prices based on market considerations effective from 1.4.1998 for all petroleum products other than Motor Spirit (MS), Superior Kerosine Oil (SKO), High Speed Diesel (HSD) and Aviation Turbine Fuel (ATF).

So far as coal based generation is concerned, usually Non-coking coal to D to F grade is being used for power generation. Government has deregulated the price of D grade of non-coking coal with effect from 12.3.1997 and has also decided to allow the nationalised coal companies (Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited) to fix the prices of E, F and G grades of non-coking coal once in every six months with effect from 13.3.1997.

Foreign training to SC/ST officers of Central Electricity Authority

2434. SHRI GANDHI AZAD: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is any discrimination in sending Class-I SC/ST officers of Central Electricity Authority for foreign tours, training and assignments;

(b) if so, what action Government propose to remove this discrimination to protect the interest of SC/ST officers;

(c) if not, whether adequate number of SC/ST officers are being sent on proportionate basis for such trainings etc. every year; and

(d) the details of all the officers sent abroad during the last three years, indicating the number of SC/ST officers?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) No, Sir.

(b) Not applicable.

(c) Yes, Sir. Adequate representation has been given to all deserving officers including SC/ST Groups-A officers without any discrimination.

(d) Details of Group-A officers (including SC/ST officers) trained/deputed abroad during the last 3 years (for 1995-96, 1996-97 and 1997-98) is given in the Annexure.

[*See* Appendix 186, Annexure No. 41]

मध्य प्रदेश के गांवों का विद्युतीकरण

2435. श्री दिलीप सिंह भूरिया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 28.2.99 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने गांव जिले-वार अविद्युतीकृत है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक प्रति वर्ष गांवों के जिले-वार विद्युतीकरण हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) विद्युतीकरण गांवों में विद्युत लाइनों के विस्तार संबंधी सुविधा एवं योजना हेतु सहायता दिए जाने का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम्): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में परिवर्तित 71526 बसे हुए गांवों में से 3373 बसे गावों को 28.2.99 तक विद्युतीकृत किया जाना शेष था। कई गैर-विद्युतीकृत गांवों का जिला-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) वर्ष 1996-97 से 1998-99 (3.3.1999) की अवधि के दौरान गांवों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जिला-वार प्रदान की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण के क्रियान्वयन का निर्णय संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लिया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) केवल स्कीम के लिए लागू मानदंडों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में आर.ई.सी. विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण के लिए प्रत्येक आर.ई. स्कीमों के लिए 5 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत करता है।

विवरण-I

28.2.99 की स्थिति के अनुसार जिला-वार गैर-विद्युतीकरण गांवों का ब्यौरा

क्र सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जिन्हें अभी विद्युतकृत किया जाना है
1.	भोपाल	0
2.	रायसेन	84
3.	विदिशा	56
4.	सिहोर	03
5.	होशंगाबाद	110
6.	राजगढ़	0
7.	बैतूल	17
8.	ग्वालियर	09
9.	दतिया	01
10.	मुरैना	64
11.	भिंड	05
12.	शिवपुरी	28
13.	गुना	47
14.	इंदौर	04
15.	धार	08
16.	झबुआ	21
17.	खांडवा	05
18.	खरगौन	113
19.	उज्जैन	0
20.	रतलाम	0
21.	मंदसौर	04
22.	शाजापुर	03
23.	देवास	05
24.	जबलपुर	83
25.	मांडला	127
26.	नरसिंगपुर	02
27.	छिंदवाड़ा	06
28.	सिवनी	50
29.	बालाघाट	101
30.	सागर	94
31.	दमोह	99
32.	छतरपुर	14
33.	पन्ना	18
34.	टिकमगढ़	03
35.	रीवा	211
36.	सतना	139
37.	सिधी	19
38.	शहडोल	129
39.	रायपुर	199
40.	दुर्ग	33
41.	राजनंदगांव	159
42.	बस्तर	655
43.	बिलासपुर	203
44.	सरगुजा	259
45.	रायगढ़	183
	कुल	3373

विवरण–II

1996–97 से 1998–99 के दौरान जिला–वार जारी की गई राशि

क्रम सं	जिले का नाम	के दौरान जारी की गई राशि (रुपये में)		
		1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	22104600	27699600	5016200
2.	बस्तर	14419400	14174500	1248000
3.	बैतुल	38233300	5016800	8684600
4.	भिंड	4117600	8841900	2524900
5.	भोपाल	19840800	19393000	–
6.	बिलासपुर	31837700	27160500	16526500
7.	छतरपुर	17275900	3735900	14154000
8.	छिंदवाड़ा	71425600	34192700	30817000
9.	दमोह	22967300	4540400	9819700
10.	दतिया	3166400	–	3823400
11.	देवास	77558000	13629600	25976800
12.	धार	68010100	13548500	28535100
13.	दुर्ग	24697900	8867300	25129300
14.	गुणा	54622800	8153000	8317700
15.	ग्वालियर	4104800	1925000	17282800
16.	होशंगाबाद	37534500	15884500	2198400
17.	इंदौर	31455300	20803300	1780400
18.	जबलपुर	33997600	14637900	7918100
19.	झाबुआ	29478000	13745100	4483900
20.	खाण्डवा	51482700	17234100	5843800
21.	खरगौन	82034800	59534400	25303000
22.	माण्डला	3343400	3449400	6642700
23.	मंदसौर	53477100	10786400	31932100
24.	मुरैना	6972000	14856300	2365800
25.	नरसिंहपुर	44563200	20186000	17765500
26.	पन्ना	2350000	14037600	–
27.	रायगढ़	4301600	12176600	23144300
28.	रायपुर	44722600	28828100	33675800
29.	रायसेन	31069200	34841500	206500
30.	राजगढ़	64955900	30184500	2469800
31.	राजनंदगांव	10746100	10231000	13553400
32.	रतलाम	30873600	5328100	20788900
33.	रीवा	25699900	14484700	10636300

1	2	3	4	5
34.	सागर	35642900	25675000	2701900
35.	रतना	19668300	10510800	5272800
36.	सिहोर	11324700	3909400	13561300
37.	सिवनी	20720600	17675800	8085300
38.	शहडोल	7967600	17956500	4982100
39.	शाजापुर	62451400	11809400	17808200
40.	शिवपुरी	4113400	7417300	7696300
41.	सिंधी	9121200	1228900	3900700
42.	सरगुजा	3640600	16709900	1331600
43.	टीकमगढ़	30123700	9436800	1625300
44.	उज्जैन	35161900	9528500	31744600
45.	विदिशा	6666700	6586200	7468400
	जोड़	1310042700	670550000	514743200

Power Plants in Kutch District

2436. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that power plants would be set up in the Kutch District of Gujarat, in collaboration with the foreign firms of Germany and Italy, as reported in the Times of India dated 19th December, 1998;

(b) if so, the details thereof;

(c) the expected time by which the power plants would be commissioned and become functional; and

(d) the capacity to generate power, alongwith the equity shares?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के आर्थिक रूप से पिछड़े जिले

2437. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल: क्या ग्रामीण क्षेत्रऔर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जिलों का किसी सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन जिलों के विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्रऔर रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, 1997 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने डा॰ ई॰ ए॰ एस॰ शर्मा, सचिव (व्यय) (योजना आयोग के तत्कालीन प्रधान सलाहकार) की अध्यक्षता में देश के 100 सबसे ज्यादा पिछड़े तथा गरीब जिलों का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई थी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।